विवरणी

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार तिलो सिंह पिता कन्दु सिंह को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार के पोता/भाई रातु सिंह द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम तलमंगा खाता सं० 111/16, रकबा 4.04 ए० वर्ष 2003-04 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान रातु सिंह ने अपना लिखित बयान दिया है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेज नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया हे कि पंजी ii में संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार खेसरा संख्या दर्ज नहीं है। रा०उ०नि० एवं अं०नि० ने जमाबन्दी रद् करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि तिलो सिंह पिता - कन्दु सिंह के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :–

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
तलमंगा	50	111/16	-	4.04 ए०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
बोलबा।

अंचल अधिकारी,
बोलबा।

Digitally signed by Baliram Manjhi
Date: 2021.08.31 16:14:38 +05:30
Location: 192.168.39.65

Scanned with CamScanner